-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी की इलेक्ट्रिक मोटर बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.05.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान ग्राम पनगरा में पुलिया पर दो संदिग्ध युवक बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु पास जाने पर दोनों भागने लगे जिनको पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए घेरकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे 05 हजार रुपए बरामद हुए। कड़ाई से भागने का कारण पूछने पर दोनों युवकों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया वे दोनों घूम-घूमकर चोरी करते है तथा कुछ दिन पूर्व एक मकान से एक इंडक्शन मोटर चोरी किया था उसी की बिक्री हेतु यहां पर बैठा था। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशादेही पर चोरी की एक इलेक्ट्रिक मोटर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा और कहाँ-कहाँ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

बरामदगी-

- 01 इलेक्ट्रिक मोटर (चोरी की)
- 05 हजार रुपए

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल पुत्र पवन निवासी नन्दवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मनीष पुत्र मनोज निवासी मुरवा थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 87/26 धारा 35(1)/317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खाँ
2. कां0 अजय यादव
3. कां0 सुनील कुमार